न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 27/2017 **दायरा दिनांक : 06.02.2017**

उनवान

महेन्द्र कुमार आयु 74 वर्ष आत्मज हेमन्त शंकर, जाति ब्राहमण राजपुरोहित, निवासी राजपुरोहित जी की हवेली झालावाड़ जिला झालावाड़ हाल निवासी शाजापुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश जरिये पावर ऑफ अटार्नी होल्डर प्रज्ञा शर्मा निवासीया शाजापुर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1— रविन्द्र कुमार आयु 62 वर्ष आत्मज ठाकुर दत्त, जाति ब्राहमण राजपुरोहित, निवासी राजपुरोहित जी की हवेली झालावाड़ जिला झालावाड

2— देवेन्द्र कुमार आयु 60 वर्ष आत्मज ठाकुर दत्त, जाति ब्राहमण राजपुरोहित, निवासी राजपुरोहित जी की हवेली झालावाड़ जिला झालावाड

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रामबाबू मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चूलाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 26.11.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 559/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2007 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

यह अपील अपीलांट द्वारा यह अपील जर्ये पावर ऑफ अटार्नी प्रज्ञा कुमार पुत्री महेन्द्र कुमार के माध्यम से न्यायालय में पेश की गई है । प्रज्ञा कुमार अपीलांट की पुत्री है एवं दावे के तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा राजस्व ग्राम झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 405 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 406 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 407 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल 6 किता की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की गई है । यह भूमि राजपुरोहित जी चतुर्भुज पुत्र बालकृष्ण जी के खाते व कब्जे की होना एवं राजपुरोहित के दो पुत्र हेमन्त शंकर एवं ठाकुरदत्त एवं एक पुत्री उत्सव कुमारी । पुत्र हेमन्त शंकर एवं ठाकुरदत्त फौत हो गये तथा वादीगण ठाकुरदत्त के वारिसान है । पुत्री श्रीमती उत्सव कुमार का भी स्वर्गवास हो गया एवं उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से की चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादीगण के पक्ष में सम्पादित करवा दी गई थी । चतुर्भुज जी राजपुरोहित के स्वर्गवास के समय उनके खाते कब्जे में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी एवं अन्य काफी भूमि एवं सम्पत्तियां थी जिसका आपसी बंटवारा चतुर्भुज जी राजपुरोहित के स्वर्गवास के बाद उनके दोनों पुत्र हेमन्त शंकर जी एवं ठाकुरदत्त के मध्य हुआ । उपरोक्त वादग्रस्त आराजी हेमन्त शंकर जी द्वारा दिनांक 01.02.1953 के द्वारा वादीगण के पिता श्री ठाकुरदत्त जी के पक्ष में की गई थी परन्तु चतुर्भुज जी स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त आराजी हेमन्त शंकर बड़े पुत्र होने के कारण दर्ज कर दी गई जबकि ये भूमि पारिवारिक बंटवारे में ठाकुर दत्त के नाम दी गई थी एवं उन्हीं का वादग्रस्त

आराजी पर कब्जा काश्त भी चला आ रहा है । अतः उपरोक्त वादग्रस्त आराजी जो सहवन से हेमन्त शंकर जी के खाते दर्ज हो गयी थी । वहां से खारिज कर वादीगण के नाम दर्ज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.03.2007 को उपरोक्त दावे के फैसले में वर्णित विवादित जमीन का खातेदार काश्तकार अपीलांट का नाम हटा कर रेस्पोडेंट के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये उपरोक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है जिसमें अपीलांट के द्वारा बताया गया कि अपीलांट एवं उनके स्वर्गीय माता गिरजा देवी व छोटे भाई नरेन्द्र कुमार के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम झालरापाटन में साबिक खसरा नम्बर 404 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 405 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 406 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 407 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल 6 किता की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित रही है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 438 व 439 दर्ज है । अपीलांट सहखातेदारान में से उसकी माता गिरजा देवी की मृत्यु 7 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं नरेन्द्र कुमार की मृत्यु वर्ष 2010 में हुई है । इसलिए अपीलार्थी ही एक मात्र उपरोक्त भूमि का खातेदार कृषक रहा है । अपीलांट का छोटा भाई अविवाहित था इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी । अतः सहखातेदारान की मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी के एक मात्र खातेदार एवं काश्तकार है एवं काबिज काश्त हैं । अपीलांट की एक पुत्री प्रज्ञा है तथा अपीलांट गत 5 वर्षों से उसकी पुत्री के साथ शाजापुर मध्यप्रदेश में निवास कर रहा है । अपीलार्थी राजकीय कर्मचार था जो सेवा निवृति के बाद उसी के पास निवास कर रहा है । अपील मेमों की मद नं. 2 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट द्वारा एक दावा 2006 में पेश किया गया था उसमें अपीलांट मध्यप्रदेश शाजापुर में निवास कर रहे हैं उसकी माता भी वहां निवास करती थी एवं छोटा भाई नरेन्द्र कुमार भी झालावाड़ से बाहर निवास करता रहा है । अतः अपीलांट को उपरोक्त वाद की जानकारी नहीं होने दी और न ही किसी तरह के सम्मन नोटिस तामील हुआ । उपरोक्त दावे के

सम्बन्ध में अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होने से रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी तामील रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.03.2007 को एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय में करवायी गई डिक्री के सम्बन्ध में अपीलांट को जानकारी नहीं भेजी गई । एक माह पूर्व रेस्पोडेंट द्वारा जब भूमि पर कब्जा करने पर उतारू होने एवं अपीलांट द्वारा भूमि के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की गई तब उपरोक्त विवादित आराजी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई । अपीलांट द्वारा सम्बन्धित इंतकाल की जानकारी प्राप्त की गई और माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई । अतः जानकारी के अभाव में डिले कन्डोन किया जाए एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा आदेश दिनांक 30.03.2007 को खारिज फरमाया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.01.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट सहखातेदार दर्ज थे । सम्मन की विधि सम्मत तामील नहीं हुई है । तामील पर जो हस्ताक्षर है वो मेच नहीं करते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय पारित किया है । अपीलांट को

सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं मिला है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में 2017 (2) आर आर टी पेज 964, 2017 (2) आर आर टी पेज 1100, 2011 (2) आर आर टी पेज 721, 2011 (2) आर आर टी पेज 1253, 2011 (2) आर आर टी पेज 829 सुप्रीम कोर्ट, 2017 (2) आर आर टी पेज 1104 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलांट अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा खारिज किया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी एवं तामील के सम्बन्ध में, निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 गैर हाजिर रहे हैं एवं एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है । । प्रतिवादीगण 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है । सम्वत 2061–64 खाता संख्या 324 खसरा नम्बर 438 एवं 439 किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि महेन्द्र कुमार, हेमन्त शंकर एवं गिरजादेवी पत्नी हेमन्त शंकर सहखातेदारों के नाम दर्ज होना अवगत करवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में जिन दस्तावेजी साक्ष्य का वर्णन किया

गया है वे मात्र एक कोरे कागज में लिखे गये हैं एवं एक्जीविट नम्बर 5 व एक्जीविट नम्बर 6 है । एक्जीविट नम्बर 5 व एक्जीविट नम्बर 6 में भूमि के खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है । अतः यह ज्ञान नहीं होता है कि अपीलांट द्वारा जिस भूमि का वर्णन किया गया है वह तथा विवादित जमीन समान है । इसका कोई हवाला नहीं है । पारिवारिक बंटवारा यदि कोई हुआ है तो उसका कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य तलब नहीं है । तामील जो की गई है वह महेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार को की गई है, उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान नहीं होता है । अपीलांट उपरोक्त विवादित जमीन के खातेदार काश्तकार है एवं उनको बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये उनके खाते की जमीन को खारिज कर रेस्पोडेंट के नाम दर्ज किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में आवश्यक है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की सम्पूर्ण जमीन की जानकारी उनका बंटवारा आदि के सम्बन्ध में जानकारी के बिना ही पारित किया गया है । गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए था । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है । अपीलांट के सुनवाई के बिना अनरजिस्टर्ड कागज के आधार पर निश्चित किए गए है । तामील सम्यक नहीं है । अतः उपरोक्त निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2007 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की पुश्तैनी जमीन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर वारिसों की जांच तहसीलदार के मार्फत करावें । अपीलांट को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान करें एवं गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जाये । पक्षकारान

को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.01.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा